न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 96/19 **निर्णय दिनांकः– 28–02–2020**
(आरसीएमएस संख्या 2019/00143)

1. लालचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति भादाणी निवासी बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 28–02–2000
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः–

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 28–02–2000 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में बतौर भूमिहीन आवांटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के तमाम सबूत प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुत करते हुए आवंटन हेतु इस्तदुआ की गई थी। तत्पश्चात् अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट को वांछित सबूत पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया परन्तु अपीलांट हाजिर नहीं आया। इसलिए आवंटन निरस्त किया जाता है। उक्त आदेश की अपील न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपीलांट की अपील को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वे अपीलांट को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेश की पालना में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसप्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी बावजूद सूचना के सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से रिमाण्ड आदेशों के अनुसरण में विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–02–2000 के विरूद्व अपील दिनांक 30–05–19 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र वांछित सबूत पेश नहीं करने के कारण खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–02–2000 के विरूद्व अपील प्रस्तुत करते हुए चाराजोई की गई है। इस

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा आदेश जिसके माध्यम से अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र सबूतों के अभाव में खारिज किया गया था के विरूद्व न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि वे अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करें। उक्त आदेश की पालना में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सूचना दिये बिना आदेश जैर अपील में यह अभिलिखित किया गया कि पत्रावली रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर सुनवाई व सबूत पेश करने हेतु रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 30–06–1999 जारी किया गया, परन्तु पत्रावली के अवलोकन से साबित है कि ऐसा कोई नोटिस अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को जारी नहीं किया गया है। अदालत मातहत द्वारा केवल मात्र औपचारिकता पूर्ण करते हुए अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र को रिमाण्ड आदेशों के बावजूद खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर दिनांक 28–02–2000 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अपीलांट को जरिये अभिभाषक निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 09–04–2020 को उपस्थित होकर अपना मत व्यक्त करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28–02–2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.03.12 16:42:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: